

# फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व चाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

नाम न्या  
राजस्व र  
क्रम  
संख्या

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
13/8/24		पत्रावली पर 03/08/24 को कार्य बहिष्कार करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आगामी दिनांक 23/08/24 को पेश हो।	
23/8/24		पत्रावली पेश 03/08/24 को कार्य बहिष्कार करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आगामी दिनांक 29/08/24 को पेश हो।	
29/8/24		पत्रावली पेश हुई। वकील उमयपदा उपस्थित। वकील उमयपदा ने प्रार्थना पत्र अर्साई निषेधाज्ञा पर बहस चुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने एवं वकील उमयपदा द्वारा दौरान बहस जादिर तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने के पश्चात् विवादित धारा 22 ख. न. 22 खि त ग्राम कैल्पावाला तह त्रेगा जिला जयपुर में उमयपदाओं को जादिर अर्साई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उमयपदा उक्त धारा 22 खि त पर तर्फेला चाद के निर्णय तक मौके एवं रिपोर्ट की प्रमाप्ति बनाए रखेंगे। पत्रावली नम्बर से कस होकर तकनील दाखिल दफ्तर से।	

mmn